न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 13/2017

1. सरोज पत्नी रमेश कुमार, जाति अग्रवाल निवासी 90 लक्कडमण्डी, श्रीगंगानगर।
अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान–जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर।
2. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह निवासी चक 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व इन्तकाल नम्बर 314 दिनांक 22.01.2017 तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

उपस्थित :
1. श्री सुरेश अरोडा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री कुलविन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट गुरमेज सिंह

::आदेश :: दिनांक :–26.08.2021

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को औद्योगिक इकाई की भूमि में से धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता स्वीकृत करने का ही कोई अधिकार नहीं था इस कारण जब कोई रास्ता ही धारा 251(क) के तहत स्वीकृत नहीं किया जा सकता था तो ऐसे आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात करने का अधिकार तहसील को नहीं है। इस कारण उक्त इन्तकाल निरस्त किय जाने योग्य है। उक्त इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा न तो कब्जा की जांच की गई और ना ही भूमि की किस्म के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है जो कि इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व कानूनन आवश्यक थी, इस कारण भी उक्त इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व भू–राजस्व अधिनियम में दिये गये प्रावधानों की पालना न किये जाने के कारण निरस्त होने योग्य है। उक्त इन्तकाल करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा अपीलांट कोई नोटिस जारी नहीं किया गया जबकि जिसकी भूमि के सम्बन्ध में यदि कोई इन्तकाल दर्ज किया जा रहा है तो उस इन्तकाल को दर्ज करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है जो उक्त प्रकरण में नहीं किया गया और बिना अपीलांट को सुने ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने राजनैतिक प्रभाव से नियम विरूद्व अपीलांट की भूमि का इन्तकाल गैरमुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया गया है जो कि प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तो के विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। इन्तकाल की आढ में अप्रार्थी प्रार्थी की भूमि में से रास्ता चालू करने पर आमाद है, जबकि मौका पर अपीलांट के ईन्ट भट्ठा पर काम करने वाले श्रमिक वर्ग के क्वाटर बने हुए है तथा पक्की हुई करीब 1 लाख ईंट उठाकर मौके पर पडी हुई है यदि उक्त विधिविरूद्व किये गये इन्तकाल की आढ़ में मौका पर ईन्ट उठाकर एवं बने हुए क्वाटरों को ध्वस्त कर रास्ता चालू किया जाता है तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः अपील अपीलांट उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इन्तकाल नम्बर 314 जो वाके चक 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 48/44 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 21/2 व 22/2 का दिनांक 23.01.2017 को पारित किया गया है को निरस्त फरमाया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.04.2021 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहित पर सुना गया । अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई स्व0 बलविन्द्र सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उप जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जाकर अपने रकबा में आने जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करने की मांग की गई जिसमें उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या 10/2015 स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 06.01.2017 रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीगंगानगर नियमानुसार नामान्तकरण संख्या 314 दिनांक 22.01.2017 दर्ज किया गया परन्तु अपीलांट द्वारा सही तथ्य छुपाकर मन प्रार्थी को पक्षकार बनाए बिना ही गलत तथ्यों के आधार पर उक्त अनवानी अपील प्रस्तुत की गई जबकि प्रार्थी उक्त मामला में आवश्यक,हितबद्व एवं प्रभावित पक्षकार है जिस कारण प्रार्थी को उक्त मामला में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बनाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहित स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या –2 के रूप में पक्षकार बनाया जावें। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के रूप में पक्षकार बनाया जाता है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को औद्योगिक इकाई की भूमि में से धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता स्वीकृत करने का ही कोई अधिकार नहीं था इस कारण जब कोई रास्ता ही धारा 251(क) के तहत स्वीकृत नहीं किया जा सकता था तो ऐसे आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है जिस कारण उक्त इन्तकाल निरस्त किय जाने योग्य है। उक्त इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा न तो कब्जा की जांच की गई और ना ही भूमि की किस्म के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है जो कि इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व कानूनन आवश्यक थी। इन्तकाल करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा अपीलांट कोई नोटिस जारी नहीं किया गया जबकि इन्तकाल को दर्ज करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक था जो उक्त प्रकरण में नहीं किया गया और बिना अपीलांट को सुने ही अधीनस्थ न्यायालय नियम विरूद्व अपीलांट की भूमि का इन्तकाल गैरमुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज कर दिया जो कि प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तो के विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इन्तकाल नम्बर 314 जो वाके चक 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 48/44 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 21/2 व 22/2 का दिनांक 23.01.2017 को पारित किया गया है को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निम्न नजीरे पेश की :–

1. आर.आर.डी. 1994 पेज– 486–487
2. Rajasthan Tenancy Act, 1955 पेज– 145–147
3. आर.आर.डी. 2014 पेज– 468–472
4. आर.आर.डी. 2014 पेज– 546–552

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 19/2015 अनवानी बलविन्द्र सिंह बनाम स्टेट व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.01.2017 की पालना में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा इन्तकाल संख्या 314 दिनांक 22.01.2017 स्वीकृत किया गया है। उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश वर्तमान में प्रभावी है जब आदेश प्रभावी है तो इन्तकाल निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट मय खर्चा निरस्त फरमाई जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 19/2015 अनवानी बलविन्द्र सिंह बनाम स्टेट व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 06.01.2017 की पालना मे उक्त विवादित इन्तकाल सख्या 314 दिनाक 22.01.2017 स्वीकृत किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.01.2017 द्वारा गैर मुमकिन भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है जबकि अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 06.01.2017 में दिये गये निर्देशो की पालना में तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 314 दिनाक 22.01.2017 विधि विरूद्व होने से निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर